न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 107/2019/अपील

लोकेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री शायरसिंह शेखावत जाति राजपुत निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 उप तहसीलदार पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 सरदार सिंह पुत्र स्व. सायरसिंह
3 भवानीसिंह पुत्र स्व. सायरसिंह
4 मनोज कंवर पुत्री स्व. सायरसिंह
5 छिगन कंवर पत्नी स्व. सायरसिंह
समस्त जाति राजपुत निवासीगण पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 02.10.2011 वाके कस्बा पलसाना द्वारा न्यायालय उप तहसीलदार पलसाना

वकील अपीलांट श्री नरेन्द्र कुमार पारीक
वकील रेस्पोडेंट श्री उत्तम कुमार शर्मा

निर्णय

दिनांकः–23.09.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि कस्बा पलसाना पटवार हल्का पलसाना, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 366 रकबा 02.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 615 रकबा 2.57 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1663 रकबा 2.58 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2478 रकबा 2.81 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 10.22 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसके अपीलांट व रेस्पोडेंट्स संख्या 2 ता 5 काबिज खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त वर्णित आराजियात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के पिता व 5 के पति स्व0 सायरसिंह के नाम से दर्ज रही है। अपीलांट के घर पर अपीलांट का घरेलू नाम लालसिंह रहा है। अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के पिता व 5 के पति स्व0 सायरसिंह की मृत्योपरांत सायरसिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 542 दिनांक 02.10.2011 को रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा अवैध व प्रभावशुन्य तथा गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास होने पर अपीलग्रस्त नामान्तकरण हल्का पटवारी द्वारा भरा गया, जिसमें अपीलांट का नाम लोकेन्द्रसिंह के स्थान पर लालसिंह भरा जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलांट का वास्तविक सही नाम लोकेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 सायरसिंह है। अपीलांट के समस्त दस्तावेज तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा 2016 की अंकतालिका, भारतीय चुनाव आयोग का पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि सभी दस्तावेजात में अपीलांट का नाम लोकेन्द्रसिंह दर्ज है, लेकिन अपीलग्रस्त नामान्तरण में अपीलांट का नाम लालसिह दर्ज चला आ रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 542 द्वारा ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपीलांट का गलत नाम लालसिंह दर्ज चला आ रहा है, जबकि अपीलांट का सही नाम लोकेन्द्रसिंह है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गयी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त घोषित किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार पलसाना को रिमाण्ड कर आदेशित किया जावे कि नामान्तकरण में अपीलांट का नाम लालसिंह की जगह लोकेन्द्रसिंह दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार सायरसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान के हक में विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों के मुताबिक चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में अपीलांट का नाम लोकेन्द्रसिंह के स्थान पर लालसिंह गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर अपीलांट स्व. शायर सिंह का पुत्र होने के सम्बंध में पत्रावली पर वारिश प्रमाण पत्र तक उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष की पुष्टि हेतु सम्पूर्ण दस्तावेजात के अभाव में अपीलांट का नाम लोकेन्द्रसिंह के स्थान पर लालसिंह दर्ज होने पर अपील के माध्यम से चुनौति देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कानूनन रिकार्ड दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाया जाना न्यायसंगत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/19

(जय प्रकाश)

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official